पर्चा डिक्री

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती शकुन्तला चौधरी आरएएस

प्रकरण सं0 : 135/2022

अनवान :

अनिल कुमार पुत्र उम्मेदसिंह जाति जाट निवासी उतरादावास तहसील भादरा। :– वादी

बनाम

1. उम्मेदसिंह दत्तक पुत्र अमरसिंह जाति जाट निवासी उतरादावास तहसील भादरा।
2. सरोज पुत्री उम्मेदसिंह जाति जाट निवासी उतरादावास तहसील भादरा।
3. पूजा कस्वां पुत्री उम्मेदसिंह जाति जाट निवासी उतरादावास तहसील भादरा।
4. आईसीआईसीआई बैंक शाखा सिद्धमुख जरिऐ शाखा प्रबन्धक।
5. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार (राजस्व) भादरा।

:– प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ शकुन्तला चौधरी सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री पवन सिहाग एवं वकील प्रतिवादीगण श्री महावीर सिंह की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी सावित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती हैं कि रोही मौजा रोही मौजा उतरादावास के खाता सं0 16/13 के खसरा सं0 290/2 की कुल 3.288है0 बारानी खातेदारी एवं रोही मौजा भनाई के खाता सं0 33/2 के खसरा सं0 256/2 की 0.0030है0, खसरा सं0 269/1 की 4.8910है0, खसरा सं0 33/5 की 0.7280है0, खसरा सं0 857/33 की 5.0000है0 कुल 10.6220है0 बारानी खातेदारी भूमि प्रतिवादी सं0 1 उम्मेदसिंह के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज वादभूमि में प्रतिवादी सं0 1 उम्मेदसिंह अकेले की बजाय में वादी अनिल कुमार पुत्र उम्मेदसिंह को 1/4 हिस्सा व प्रतिवादी सं0 1 उम्मेदसिंह को 3/4 हिस्सा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। चूंकि प्रतिवादी सं0 2 सरोज व प्रतिवादी सं0 3 पूजा कस्वां ने अपना हक हिस्सा प्रतिवादी सं0 1 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है। यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 23.03.2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(शकुन्तला चौधरी) [illegible]लक्टर
R.A.S. (फास्ट ट्रैक) भादरा

सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner